न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
179/24	12.07.2024	12-11-24

उनवान

1. नन्दराम पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
2. पूरणमल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
3. निरन्जनलाल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
4. रामानन्द पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
5. हरफूल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
6. मिश्रीलाल पुत्र स्व0 श्री पांचा
7. गोविन्दाराम पुत्र स्व0 श्री पांचा
8. गंगासहाय पुत्र स्व0 श्री पांचा जातियान माली निवासीयान दहिया की ढाणी, गंज तहसील किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब (भूमिधारी अधिकारी) किशनगढबास तहसील किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राजात
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्त0अधि01955

उपस्थितिः–1. वादीगण की ओर से श्री अमरसिंह सैनी एड0।
2. प्रतिवादी की ओर से मौका रिपोर्ट।

निर्णय

दावें के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

आराजी खसरा संख्या हाल 283 रकबा 0.3700हे0 चाही 1, 311 रकबा 0.3300हे0 चाही 1 किता 02 रकबा 0.7000हे0 स्थित वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान मे स्थित है। उक्त आराजी हम वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। हम वादीगण के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2076

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

लगायत 2078 में बतौर खातेदार दर्ज हो रहा है। उक्त आराजी मौजूदा वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।

उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में हम वादीगण के नाम के बाद हम वादीगण के स्वर्गीय पिता पांचा वगैरा मजकूर बकाश्त रामजीलाल खातेदार ख0नं0 283, 311 के नाम का अंकन दर्ज हो रहा है। जबकि रामजीलाल हम वादीगण 1 लगायत 5 के पिता है तथा पांचा हम वादीगण 6 लागयत 8 के पिता है। जिनका देहान्त हो गया है तथा राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण के नाम का अंकन दर्ज हो गया है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने जमाबंदी बनाते समय उक्त अ0विव0 पांचा वगैरा मजकूर बकाश्त रामजीलाल खातेदार ख0नं0 283, 311 का गलत अंकन दर्ज कर दिया। जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व खिलाफ रिकार्ड है। हम वादीगण के हकूको के खिलाफ है। जिसको दुरूस्त कराने हेतु वाद–पत्र पेश करना लाजिम आया है।

विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के पिता की बकाश्त दर्ज है जो गलत है तथा हिस्से के विपरीत दर्ज की गयी है। जिसका गलत अंकन दर्ज रहने से वादीगण के हितो पर विपरीत प्रभाव पडता है तथा राजस्व रिकार्ड में होर रहे गलत अंकन के आधार पर वादीगण को अपने हक–हिस्से की आराजी की बाबत अपने राजस्व संबंधी कार्य करने मे काफी अडचने पैदा होती है। जिस पर वादीगण राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन को हजफ कराकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री दुरूस्ती निम्न प्रकार से फरमायी जावेः–

अ– डिक्री दुरूस्ती मय इश्तकरारहक इस प्रकार की पारित की जावे कि आराजी खसरा नं0 हाल 283 रकबा 0.3700हे0 चाही 1, 311 रकबा 0.3300हे0 चाही 1 किता 02 रकबा 0.7000हे0 स्थित वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0 की बाबत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के नाम के बाद हो रहे अ0विव0 पांचा वगैरा मजकूर बकाश्त रामजीलाल खातेदार ख0नं0 283,311 का जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में हो रहा है वो खिलाफ मौका कब्जा व खिलाफ कानून है। जिसको हजफ किया जाकर वादीगण के नाम का अंकन बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रखा जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

ब– दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत श्रीमान् उचित समझे वादीगण को अता फरमायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया तथा तहसीलदार कि0बास से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिशल पत्रावली की गई।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई वकील वादीगण ने दावें में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया की तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार हम वादीगण की कब्जा काश्त है तथा मौके पर कोई विवाद नही है। तथा विवादित आराजी पर जो नाम बकाश्त उपकृष्क दर्ज हो रहा है वो हम वादीगण 1 लगा0 5 के पिता तथा 6 लगा0 8 के पिता है जिनका स्वर्गवास हो गया है तथा राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण का खातेदारी में अंकन है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार बकाश्त का अंकन हजफ किया जावे। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न हाल जमाबंदी सं0 2076–2079 के अनुसार वादीगण खातेदारान के नाम के आगे अ0विव0 – पांचा वगैरह मजकूर बकाश्त रामजीलाल खातेदार ख0नं0 283,311 दर्ज रिकार्ड है तथा बैक आरजीबी किशनगढबास एवं पीएनबी किशनगढबास राहिन दर्ज रिकार्ड है। तथा पत्रावली मे रामजीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.02.2016 की प्रति संलग्न है। तहसीलदार किशनगढबास से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भी विवादित आराजी ख0नं0 283 रकबा 0.3700हे0, 311 रकबा 0.3300हे0 मे गंगासहाय, गोविन्दराम, मिश्रीलाल पुत्रान पांचाराम जाति माली व अविव पांचा वगैरह मजकूर बकाश्त रामजीलाल खातेदार ख0नं0 283,311 राहिन आरजीबी किशनगढबास व नन्दराम, निरंजनलाल, पूरणमल, रामानन्द व हरफूला पुत्रान रामजीलाल जाति माली सा0देह खातेदार अविव पांचा वगैरह मजकूर बकाश्त रामजीलाल खातेदार ख0नं0 283,311 राहिन पीएनबी किशनगढबास के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उपस्थित लोगों के बताये अनुसार उक्त आराजी ख0नं 283 व 311 पर खातेदारो गंगासहाय, गोविन्दराम, मिश्रीलाल पुत्रान पांचाराम जाति माली व नन्दराम, निरंजनलाल, पूरणमल, रामानन्द व हरफूला पुत्रान रामजीलाल जाति माली सा0देह खातेदार का ही कब्जा काश्त है। तथा विवादित आराजी के मौके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद और वर्तमान मे किसी अन्य न्यायालय का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

स्थगन विचाराधीन होने का अंकन नही है। इस प्रकार तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेजो के अवलोकन से यह तथ्य तो साबित होता है कि विवादित आराजी पर जो अंकन अ0विव पाचां वगै मजकूर बकाशत रामजीलाल दर्ज हो रहा है वो वादीगण के पिता ही है अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण के नाम के सामने जो अंकन अविव पांचा वगैरह मजकूर बकाश्त रामजीलाल खातेदार ख0नं0 283,311 हो रहा है उसे दुरूस्त किया जाना उचित एंव न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 हाल 283 रकबा 0.3700हे0 चाही 1, 311 रकबा 0.3300हे0 चाही 1 किता 02 रकबा 0.7000हे0 स्थित वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0 की बाबत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के नाम के बाद हो रहे अ0विव0 पांचा वगैरा मजकूर बकाश्त रामजीलाल खातेदार ख0नं0 283,311 का जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा बैक राहिन यथावत् रहेगा। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल हो । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
179 / 24	12.07.2024	12.11.2024

उनवान

1. नन्दराम पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
2. पूरणमल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
3. निरन्जनलाल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
4. रामानन्द पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
5. हरफूल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
6. मिश्रीलाल पुत्र स्व0 श्री पांचा
7. गोविन्दाराम पुत्र स्व0 श्री पांचा
8. गंगासहाय पुत्र स्व0 श्री पांचा जातियान माली निवासीयान दहिया की ढाणी, गंज तहसील किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब (भूमिधारी अधिकारी) किशनगढबास तहसील किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राजात
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्त0अधि01955

उपस्थितिः–1. वादीगण की ओर से श्री अमरसिंह सैनी एड0।
2. प्रतिवादी की ओर से मौका रिपोर्ट।

पर्चाडिक्री

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 हाल 283 रकबा 0.3700हे0 चाही 1, 311 रकबा 0.3300हे0 चाही 1 किता 02 रकबा 0.7000हे0 स्थित वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0 की बाबत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के नाम के बाद हो रहे अ0विव0 पांचा वगैरा मजकूर बकाश्त रामजीलाल खातेदार ख0नं0 283,311 का जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

जमाबंदी आदि में हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा बैक राहिन यथावत् रहेगा। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)